

**IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION 201 OF 2024**

**IN THE MATTER OF:**

AMIT KUMAR

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS

...RESPONDENTS

**INDEX**

S.No	PARTICULARS	Page No.
1.	Additional Affidavit Of District Magistrate Shamli in Compliance of Order dated 01.08.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.	<b>1-7</b>
2.	<b><u>ANNEXURE R-1.</u></b> A Copy of Letter dated 29/10/2025	<b>8-34</b>
3.	<b><u>ANNEXURE R-2(Colly)</u></b> A copy of revenue records and list of illegal encroachers	<b>35-51</b>

4.	<b><u>ANNEXURE R-3(Colly)</u></b> A copy of notices dated 21/10/2025.	<b>52-88</b>
5.	<b><u>ANNEXURE R-4.</u></b> A copy of letter dated 09.09.2025.	<b>89</b>
6.	<b><u>ANNEXURE R-5(Colly)</u></b> Copies of letters dated 30.10.2025	<b>90-91</b>

Dated- 01.11.2025

*Ankit Verma*

FILED THROUGH

ANKIT VERMA

STANDING COUNSEL STATE OF UP

A-15 FF, NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI- 110013


MOB: - 09990804440 [Email-ankit.scngtup@gmail.com]



Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP18161120690650X  
 Certificate Issued Date : 31-Oct-2025 02:16 PM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14876204/ SHAMLI SADAR/ UP-SML  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1487620433291206843403X  
 Purchased by : ARVIND KUMAR CHAUHAN AT DISTRICT MAGISTRATE  
 Description of Document : Article 4 Affidavit  
 Property Description : Not Applicable  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : ARVIND KUMAR CHAUHAN AT DISTRICT MAGISTRATE  
 Second Party : Not Applicable  
 Stamp Duty Paid By : ARVIND KUMAR CHAUHAN AT DISTRICT MAGISTRATE  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 10  
 (Ten only)



Please write or type below this line

Handwritten signature and date: 31/10/2025

Statutory Alert.

1. The authenticity of the Stamp certificate should be checked at [www.officialstamp.com](http://www.officialstamp.com) or using the Stamp Mobile App of State, India.
2. For more information on delisting Affidavits and its operation on the website, Mobile App contact if needed.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



**IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION 201 OF 2024**

**IN THE MATTER OF:**

AMIT KUMAR

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS

...RESPONDENTS

**ADDITIONAL AFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE  
SHAMLI IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 01.08.2025  
PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL**



**MOST RESPECTFULLY SHOWETH:**

I, Arvind Kumar Chauhan, aged about 43 years S/o Shri Lakshmi Narayan presently posted as District Magistrate Shamli, do hereby solemnly affirm and state on oath as under :

**NOTARY**

1. That I am the above-mentioned officer of answering Respondent No.6 and is duly competent to file the present

*(Handwritten signature)*

**NOTARY**

NOTARY

affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this affidavit.

NOTARY

2. That the Deponent has read and understood the contents of the present additional affidavit. The averments made in the Original Application, which are not specifically admitted hereunder, must be considered to have been denied by the Deponent.

NOTARY

3. That the contents of the present additional affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom

NOTARY

4. That this Hon'ble Tribunal vide its order dated 01.08.2025 was pleased to pass the following directions :-

***In the above circumstances, we direct the District Magistrate Saharanpur and also District Magistrate Shamli to file a fresh affidavit within six weeks clearly indicating all the minor and major drains which are out falling in the river Khakhori/Sindhli in their respective Districts, the time bound plan to prevent the flowing of sewage and domestic waste in the river, the time bound action for the demarcation of***



NOTARY

**NOTARY**

***flood plains of the river in their District, the action which has been taken for removal of the encroachment and time bound proposed action for removing the remaining encroachments from the floodplain, the action plan to ensure continuous flow of the river in their District and the efforts which have made by them for restoration of the of the river strictly in compliance of the Ganga order of 2016. Let the fresh affidavit with above particulars be filed.***

***5. List on 03.11.2025.***

**NOTARY**

5. That the present additional affidavit is being filed in respectful compliance of the order dated 01.08.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.

**NOTARY**

6. That the District Panchayat Raj Officer District Shamli, vide his letter no.1431/Shika. Sa/2025-26 dated 29/10/2025 informed the Chief Development Officer Shamli that in Khokri River sixteen drains are falling from nearby gram panchayats having waste water from households. For treatment of waste water, collection of municipal solid waste and tapping of drains an estimation of Rs 15.874 Lakhs has been proposed and submitted to the National Mission For Clean Ganga for construction of sixteen filter chambers and two waste stabulization ponds, which will ensure continuous flow of the

**NOTARY**

NOTARY


river. Further for collection liquid waste filter chamber and stilt catcher will be constructed in the nali's. The aforesaid constructions will be completed within period of forty five days of receiving the requisite funds from NMCG. A copy of letter dated 29/10/2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R-1.**

NOTARY

7. That in the earlier affidavit dated 14.06.2025 filed by the deponent it was respectfully submitted that, apart from few permanent constructions, the majority of the Khokhari River's corridor is free from encroachments, and that any encroachments present will be removed in conjunction with the excavation work.

NOTARY

8. That it was further informed that for the removal of permanent construction proceedings under section 152(1) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita were instituted and admitted on the report of the Jiledar Drainage Division Shamli (Muzaffarnagar) dated 09.04.2025 before the Court of Sub Divisional Magistrate Shamli, Tehsil Unn, wherein notices were issued upon the twenty seven persons in Gram Sakauti and six persons in Gram Chausana who have encroached the River Bank for immediate removal of such encroachments, which were identified on the basis of the existing revenue records. A copy of revenue records



NOTARY

and list of illegal encroachers is annexed herewith and marked as **Annexure R-2 (Colly)** NOTARY

9. That it has been informed that the Office of Tehsildar Unn District Shamli, has served notices dated 21.10.2025 upon all the thirty three persons who have encroached on the flood plain. By way of said notices, final opportunity for removal of encroachments has been granted till 31<sup>st</sup> October after which the encroachments will be removed by the District Administration. A copy of notices dated 21/10/2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R-3 (Colly)** NOTARY

10. That further the Executive Engineer Drainage Division Shamli (Muzaffarnagar) vide his letter no. 1075/DDM/Khokari/dated 09.09.2025 has informed the deponent that the work for mapping of flood plain zone is in progress and will be completed by approximately 30.11.2025. After work of the flood plain zone is completed, gazette notification will be issued by 31.12.2025. After determining the flood plain zone of Khokhari River, the pillars work will be completed by 28.02.2026. A copy of letter dated 09.09.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R-4.** NOTARY


11. That it is further submitted that the deponent, vide his amended letter dated 30.10.2025 addressed to the Project



NOTARY

Director State Mission For Clean Ganga UP submitted an amended proposal seeking appropriate funds for work of waste water treatments and work for plantation on river bed. That for work of desilting component a separate letter has been addressed to the Principal Secretary Irrigation State of UP for releasing requisite funds. A copy of letters dated 30.10.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R-5 (Colly)**.

12. That the instant response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same may be taken on record.



NOTARY

DEPONENT

**Verification**

I, the deponent above named do hereby verify and state that the contents of the foregoing paragraphs of the above application are true to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed there from. On this 31 day of OCT , 2025.

DEPONENT

IDENTIFIED

~~ATTESTED  
 NEELAM KUMARI  
 Notary/Advocate  
 District Shamli  
 R.N- 9451/12~~



## Annexure R-1

जिला पंचायत राज अधिकारी,  
शामली।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,  
शामली।

पत्रांक 1431 / पं० / शिका० सहा० / 2025-26  
महोदय,

दिनांक: 29/10/2025

अवगत कराना है कि, जनपद शामली में खोखरी नदी विकास खण्ड-ऊन क्षेत्रान्तर्गत पडने वाले ग्राम चौसाना जदीद से शुरू होकर ग्राम चौसाना, गुर्जरपुर, जिजौला, काला माजरा, कमालपुर, नाई ब्रगला सकौती, आदि गांव से होती हुई ग्राम कबीरपुर के मजरा ख्वाजपुरा में यमुना नदी में मिल जाती है। खोखरी नदी के किनारे बसी ग्राम पंचायतों के संबंध में अवगत कराना है कि :-

**1-वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान :-** उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि, खोखरी नदी में ग्राम पंचायतों से 16 नाले गिर रहे हैं, जिनमें गांव का घरेलू वेस्ट वाटर प्रवाहित होता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हेतु 16 फिल्टर चैम्बर तथा 02 वेस्ट स्टेब्लाइजेशन पॉण्ड के निर्माण हेतु आगणन धनराशि रु० 15.874 लाख का प्राक्कल पूर्व ही उपलब्ध करा दिया गया है। धनराशि आवंटित होने के उपरान्त 45 दिनों में उपरोक्त कार्य पूर्ण करा दिये जायेंगे।

**2-ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन :-** उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि, खोखरी नदी के किनारे बसी ग्राम पंचायतों यथा-चौसाना जदीद, चौसाना, भडी, नाई नंगला सकौती, कमालपुर, काला माजरा, केरटू, गुर्जरपुर, जिजौला एवं कबीरपुर सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में आर०आर०सी० (रिसोर्स रिकवरी सेन्टर) का निर्माण कराया गया है। उक्त ग्राम पंचायतों में ई-रिक्शा के माध्यम से डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन कराते हुए आर०आर०सी० सेन्टर पर वेस्ट सेग्रीगेशन का कार्य किया जा रहा है तथा साथ ही उक्त ग्राम पंचायतों में सामुदायिक स्थलों का चिन्हांकन करते हुए सामुदायिक कचरा पात्र, खाद गड्ढों, नाडेप, प्लास्टिक बैंक व वर्मी कम्पोस्ट पिट में जैविक ठोस कूड़े की कम्पोस्टिंग कराकर निस्तारण कराया जा रहा है। अजैविक कूड़े यथा-प्लास्टिक, पॉलीथीन इत्यादि का एकत्रीकरण आर०आर०सी० पर कराकर निस्तारण कबाडी लिंकेज के माध्यम से कराया जा रहा है।

आख्या महोदय की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न-फोटोग्राफ।

भवदीय,

329/10/2025  
(सदीप अग्रवाल)

जिला पंचायत राज अधिकारी,  
शामली।

पत्रांक एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, जनपद-शामली/मुजफ्फरनगर।

जिला पंचायत राज अधिकारी,  
शामली।



पंचायती राज  
प्रेषक,

जिला पंचायत राज अधिकारी,  
शामली।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,  
शामली।

पत्रांक 153 / पं०/शिका०सहा०/2025-26  
महोदय,

दिनांक: 25/10/2025

अवगत कराना है कि, जनपद शामली में खोखरी नदी विकास खण्ड-ऊन क्षेत्रान्तर्गत पडने वाले ग्राम चौसाना जदीद से शुरू होकर ग्राम चौसाना, गुर्जरपुर, जिजौला, काला माजरा, कमालपुर, नाई नंगला सकौती, आदि गांव से होती हुई ग्राम कबीरपुर के मजरा ख्वाजपुरा में यमुना नदी में मिल जाती है। खोखरी नदी के किनारे बसी ग्राम पंचायतों के संबंध में अवगत कराना है कि :-

**1-वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान :-** उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि, खोखरी नदी में ग्राम पंचायतों से 16 नाले गिर रहे हैं, जिनमें गांव का घरेलू वेस्ट वाटर प्रवाहित होता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हेतु 16 फिल्टर चैम्बर तथा 02 वेस्ट स्टेब्लाइजेशन पॉण्ड के निर्माण हेतु आगणन धनराशि रू० 15.874 लाख का प्राक्कल पूर्व ही उपलब्ध करा दिया गया है। धनराशि आवंटित होने के उपरान्त 45 दिनों में उपरोक्त कार्य पूर्ण करा दिये जायेंगे।

**2-टोस अपशिष्ट प्रबन्धन :-** उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि, खोखरी नदी के किनारे बसी ग्राम पंचायतों यथा-चौसाना जदीद, चौसाना, भडी, नाई नंगला सकौती, कमालपुर, काला माजरा, केरटू, गुर्जरपुर, जिजौला एवं कबीरपुर सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के टोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में आर०आर०सी० (रिसोर्स रिकवरी सेन्टर) का निर्माण कराया गया है। उक्त ग्राम पंचायतों में ई-रिक्शा के माध्यम से डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन कराते हुए आर०आर०सी० सेन्टर पर वेस्ट सेग्रीगेशन का कार्य किया जा रहा है तथा साथ ही उक्त ग्राम पंचायतों में सामुदायिक स्थलों का चिन्हांकन करते हुए सामुदायिक 'कचरा पात्र, खाद गड्डों, नाडेप, प्लास्टिक बैंक व वर्मी कम्पोस्ट पिट में जैविक टोस कूड़े की कम्पोस्टिंग कराकर निस्तारण कराया जा रहा है। अजैविक कूड़े यथा-प्लास्टिक, पॉलीथीन इत्यादि का एकत्रीकरण आर०आर०सी० पर कराकर निस्तारण कबाडी लिंकेज के माध्यम से कराया जा रहा है।

आख्या महोदय की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न-फोटोग्राफ।

भवदीय,


(संदीप अग्रवाल)

जिला पंचायत राज अधिकारी,  
शामली।


पत्रांक एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, जनपद-शामली/मुजफ्फरनगर।

25/10/2025  
जिला पंचायत राज अधिकारी,  
शामली।



GPS Map Camera



Google

Konthalpur, Uttar Pradesh, India 

J5vh+pvr, Konthalpur, Uttar Pradesh 247778, India

Lat 29.643234° Long 77.180548°

Wednesday, 29/10/2025 11:16 AM GMT +05:30



GPS Map Camera




Google

Konthalpur, Uttar Pradesh, India 



J5vh+pvr, Konthalpur, Uttar Pradesh 247778, India

Lat 29.643223° Long 77.180567°

Wednesday, 29/10/2025 11:16 AM GMT +05:30



पौखाना जदीस





 **GPS Map  
Camera Lite**

M5J7+R5R, लक्ष्मीपुरा मार्ग, चुसना कदिम, उत्तर प्रदेश 247778, भारत 

Latitude

29.68178177252412°

Longitude


77.16281999833882°

Local 09:23:08 AM

GMT 03:53:08 AM

Altitude 248 meters

Wednesday, 29.10.2025



 **GPS Map  
Camera Lite**

M5J6+MW, भारी, उत्तर प्रदेश 247778, भारत 

Latitude

29.681782023981214°

Longitude

77.1628001332283°



Local 09:22:58 AM

GMT 03:52:58 AM


Altitude 248 meters

Wednesday, 29.10.2025

११/११



सि.प. चौकिया



Check In

Sunder Nagar, Uttar Pradesh, India


Sunder Nagar Rd, Sunder Nagar, Uttar Pradesh 247778, India

Lat 29.654878° Long 77.190125°

Tuesday, 28/10/2025 11:20 AM GMT +05:30

GPS Map Camer

Google



Check In

Alipura, Uttar Pradesh, India

Alipura, Uttar Pradesh 247778, India


Lat 29.655027° Long 77.19024°

Tuesday, 28/10/2025 11:23 AM GMT +05:30

GPS Map Camer

Google

र.प. चौसागर



GPS Map Camera

Check In





Alipura, Uttar Pradesh, India 



Allpura, Uttar Pradesh 247778, India

Lat 29.654983° Long 77.190157°



Tuesday, 28/10/2025 11:24 AM GMT +05:30










28/10/2025








GPS Map Camera  
**Bhari, Uttar Pradesh, India**  
 M47v+737, Koriyan, Bhari, Uttar Pradesh 247778, India  
 Lat 29.663035° Long 77.143111°  
 Tuesday, 28/10/2025 10:48 AM GMT +05:30

GPS Map Camera  
**Bhari, Uttar Pradesh, India**  
 M47v+83m, Koriyan, Bhari, Uttar Pradesh 247778, India  
 Lat 29.663527° Long 77.143053°  
 Tuesday, 28/10/2025 10:30 AM GMT +05:30




GPS Map Camera  
**Kunda Kalan, Uttar Pradesh, India**  
 Kunda Kalan Main Rd, Kunda Kalan, Uttar Pradesh 247341, India  
 Lat 29.717757° Long 77.165232°  
 Tuesday, 28/10/2025 10:16 AM GMT +05:30

कमालपुर





G.P-KAMALPUR KI E RIKSHA


G.P-KAMALPUR ME GHAR GHAR SE KUDA  
COLLECTION KARTE HUE




—हिं नंगला-सकौती—

G.P- NAN  
NANGLA  
SAKAUTI ME  
KHOKHRI PAR  
FILTER CHAMBER  
NALA NIRMAN







G.P- NAI NANGLA  
 SAKAUTI  
 KI E RIKSHA



634  
P- NAI NANGLA SAKA TI ME GHAR GHAR  
SE KUDA COLLECTION KARTE HUE






Kertu, Uttar Pradesh, भारत 🇮🇳


H585+775, Karnal - Shamli Rd, Kertu, Uttar Pradesh 247773, भारत

Lat 29.564548° Long 77.158745°

29/10/2025 01:12 PM GMT +05:30







एक कदम स्वच्छता की ओर  
सुखा कचरा  
स्वच्छ भारत मिशन

GPS Map Camera



Google

शामली, उत्तर प्रदेश, भारत   
करनेल - शामली मार्ग, Near Indian Bank, कर्तु, शामली, उत्तर प्रदेश  
247773, भारत  
Lat 29.569335° Long 77.152319°  
29/10/2025 01:03 PM GMT +05:30




GPS Map Camera



कबीरपुर एहतमली, उत्तर प्रदेश, भारत 🇮🇳  
 H43h+r28, कबीरपुर एहतमली, उत्तर प्रदेश 247773, भारत  
 Lat 29.554831° Long 77.126329°  
 बुधवार, 29/10/2025 01:37 PM GMT +05:30







GPS Map Camera



कबीरपुर एह्तमली, उत्तर प्रदेश, भारत 🇮🇳

H43h+r28, कबीरपुर एह्तमली, उत्तर प्रदेश 247773, भारत

Lat 29.554432° Long 77.126912°

बुधवार, 29/10/2025 01:38 PM GMT +05:30



## कार्यालय उप जिलाधिकारी ऊन, जनपद-शामली

संख्या 1257/एस0टी

दिनांक-12.04.2025

विषय:- मा0 एन0जी0टी0 में योजित OA संख्या 201/2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में आख्या।

जिलाधिकारी  
शामली।

महोदय,

मा0 एन0जी0टी0 में योजित OA संख्या 201/2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.12.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध क्रम में तहसील ऊन के अर्न्तगत स्थित ग्राम चौसाना जदीद, चौसाना बिला अह0, अलीपुरा, भडी, मुस्तफाबाद, सकौती, कमालपुर, गुर्जरपुर, अजीजपुर, कालामाजरा, जलालपुर व केरटू में स्थित खोखरी नदी के सम्बन्ध में तहसील स्तरीय बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है-

1- खोखरी नदी का प्रचलित नाम व प्रवाह क्षेत्र-

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि राजस्व टीम द्वारा उपरोक्त वर्णित ग्रामों में आम बोलचाल की भाषा में प्रचलित खोखरी नदी का स्थलीय निरीक्षण किया गया, स्थलीय निरीक्षण के सापेक्ष यह पाया गया कि प्रत्येक ग्राम के राजस्व अभिलेखों में नदी की नौय्यत भिन्न-भिन्न दर्ज है, जिसे आख्या के अर्न्तगत वर्णित तालिका के कॉलम 5 व 8 में दिया गया है। खोखरी नदी का उद्गम स्थान मूल रूप से जनपद सहारनपुर की तहसील नकुड के ग्राम बिशनपुर में है, उक्त वर्णित नदी जनपद शामली की सीमा में तहसील ऊन के ग्राम चौसाना जदीद के खसरा सं0 849 में प्रविष्ट होती है तथा अन्य ग्राम क्रमशः चौसाना बिला अह0, अलीपुरा, भडी, मुस्तफाबाद, सकौती, कमालपुर, गुर्जरपुर, अजीजपुर, कालामाजरा, जलालपुर व केरटू से होते हुए पुनः ग्राम जलालपुर के खसरा सं0 202 से होते हुए यमुना नदी में विलुप्त हो जाती है। उपरोक्त सभी ग्रामों में खोखरी के प्रवाह की खसरावार सूचना तालिका के कॉलम 3 व 6 में दी गयी है।

2- खोखरी नदी की चौड़ाई/गहराई राजस्व रिकार्ड/स्थलीय निरीक्षण में पाये अतिक्रमण की स्थिति -

राजस्व रिकार्ड की जांच व भूचित्र के अनुसार आख्या तैयार किये जाने हेतु राजस्व टीम का गठन किया गया तथा इस सम्बन्ध में बन्दोबस्त व वर्तमान राजस्व अभिलेखों की जांच कराई गयी, प्राप्त जांच आख्या के आधार पर तहसील ऊन के ग्राम अलीपुरा में खोखरी नदी का प्रवाह निरन्तर न होते हुए प्रवाह के बीच में राजस्व अभिलेखों के अनुरूप खसरा सं0 23 संक्रमणीय भूमिधर की भूमि स्थित पायी गयी, खसरा सं0 23 के जोत चकबन्दी आकार पत्र 41 व 45 की प्रति प्रमाण स्वरूप साथ में संलग्न है। ग्राम अलीपुरा के खसरा सं0 23 के बाद पुनः नदी खसरा सं0 19 से अभिलेख अनुरूप आरम्भ हो जाती है। नदी के स्थलीय निरीक्षण के समय पाया गया कि नदी में जल प्रवाह न होने के कारण आस-पास के कृषकों द्वारा कृषि रूप में अस्थाई रूप से कब्जे किये हुए थे, जिनमें

ABE  
JEL JMF  
File in  
Mintom  
File.

से अधिकांश अस्थाई कब्जों को हटवा दिया गया है, शेष अस्थाई कब्जे को हटाने के लिए कार्य किया जा रहा है व दो ग्राम चौसाना जदीद व सकौती में अवैध स्थाई कब्जे पाये गये जिनके विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152(1) के अन्तर्गत न्यायालय उपजिलाधिकारी ऊन में वाद सं० टी20209720702701 सरकार बनाम राजेश आदि व वाद सं० टी202509720702700 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि योजित है, जिसमें मा० एन०जी०टी० के निर्देशों के क्रम में त्वरित सुनवाई कर वादों का निस्तारण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त वादों में अग्रिम दिनांक 19.04.2025 नियत है।

राजस्व रिकार्ड के अनुसार नदी की लम्बाई, चौड़ाई के सम्बन्ध में राजस्व टीम द्वारा तैयार की गई सूची निम्न प्रकार है-

क्र० सं०	ग्राम का नाम	बन्दोबस्त के अनुसार खसरा सं०	रकबा (हे० मे)	नौईयत	वर्तमान खसरा संख्या	रकबा (हे० मे)	नौईयत	लम्बाई (मी० मे)	औसत चौड़ाई (मी० मे)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	चौसाना जदीद	840	1.598	नदी	840	1.598	नदी	505	18
	..	841	0.113	नदी	841	0.113	नदी	70	12
	..	848	0.205	नदी	848	0.205	नदी	80	27
	..	849	1.372	नदी	849	1.372	नदी	406	31
	..	1181	3.704	नदी	1181	3.704	नदी	1370	12
	..	1356	1.331	नदी	1356	1.331	नदी	850	22
	..	1659	1.075	नदी	1659	1.075	नदी	719	22
2	चौसाना बिला अह०	899	0.318	नदी	899	0.318	नदी	106	27
3	अलीपुरा	19	0.123	नदी	19ग	0.123	नदी	224	5
	..	23मि	0.126	काश्तकार	23मि	0.126	काश्तकार	550	25
	..	23मि	0.020	काश्तकार	23मि	0.020	काश्तकार		
	..	23मि	0.128	काश्तकार	23मि	0.128	काश्तकार		
	..	23मि	1.044	काश्तकार	23मि	1.044	काश्तकार		
	..	23मि	0.287	काश्तकार	23मि	0.287	काश्तकार		
	..	35	3.555	नदी	35क	3.555	नदी	1017	34
	..	107	4.664	नदी	107	4.664	नदी	1750	27
4	भडी	339	1.578	नदी	339ख	1.578	नदी	1500	17
	..	338	0.031	नदी	338	0.031	नदी	60	5
5	मुस्तुफा बाद	151	1.501	नाला	151	1.501	नाला	300	50
	..	168	1.771	नाला	168	1.771	नाला	410	43
6	सकौती	56	4.383	नाला	56	4.383	नाला	962	45
	..	164	4.194	नाला	164	4.194	नाला	994	42
	..	315	2.797	नाला	315	2.797	नाला	461	60
	..	384	0.031	नाला	384	0.031	नाला	67	4.5
	..	402	1.196	नाला	402	1.196	नाला	360	33
	..	444	0.179	नाला	444	0.179	नाला	172	10
	..	445क	0.328	नाला	445क	0.328	नाला	208	16
	..	446	0.277	नाला	446	0.277	नाला	167	16

14

	..	449ख	0.287	नाला	449ख	0.287	नाला	217	13
	..	450	0.195	नाला	450	0.195	नाला	203	9.5
	..	445ख	0.061	नाला	445ख	0.061	नाला	208	3
	..	448	0.072	नाला	448	0.072	नाला	50	14
	..	449क	0.133	नाला	449क	0.133	नाला	217	6
	..	451	0.061	नाला	451	0.061	नाला	40	15
7	कमालपुर	252	0.082	नाला	252	0.082	नाला	54	3
	..	253	0.455	नाला	253	0.455	नाला	136	15
	..	271	0.912	नाला	271	0.912	नाला	1450	6.5
	..	256	0.072	नदी	256	0.072	नदी	72	10
	..	257	1.506	नदी	257	1.506	नदी	270	55
	..	270	2.705	नदी	270	2.705	नदी	655	41
8	गूर्जरपुर	121	5.1168	नदी	121	5.1168	नदी	870	58
	..	145	0.205	नदी	145	0.205	नदी	135	15
9	अजीजपुर	293	2.336	नदी	293	2.336	नदी	1092	21
	..	314	0.061	नदी	314	0.061	नदी	28	21
	..	323	1.301	नदी	323	1.301	नदी	630	21
	..	419ग	0.533	नदी	419ग	0.533	नदी	250	21
	..	411	1.896	नदी	411	1.896	नदी	860	21
	..	419ध	0.102	नदी	419ध	0.102	नदी	50	21
10	काला माजरा	213	0.123	नाला	213	0.123	नाला	70	16
11	जलालपुर	202	0.420	नदी	202	0.420	नदी	250	16
	..	10	0.103	नदी	10	0.103	नदी	56	18
	..	1मि	0.041	नाला	1मि	0.041	नाला	50	16
	..	1मि0	0.113	नाला	1मि0	0.113	नाला	430	34
	..	16मि	0.840	नाला	16मि	0.840	नाला		
	..	16मि0	0.154	नाला	16मि0	0.154	नाला		
	..	16मि0	0.471	नाला	16मि0	0.471	नाला		
12	केरटू	58म	1.727	नदी	58ख	1.727	नदी	420	41
	..	62म	0.947	नदी	62म	0.947	नदी	230	41
	..	359	1.649	नदी	359	1.649	नदी	310	53

### 3- नदी के जलग्रहण क्षेत्र से सम्बन्धित समुचित विवरण-

उपरोक्त नदी में वर्षा ऋतु के समय आस-पास के ग्रामों से अतिरिक्त वर्षा का जल प्रवाहित हो जाता है। इसके अतिरिक्त नदी में जल प्रवाह गत 4-5 वर्षों से नहीं हो रहा है। उपरोक्त ग्रामों के शजरे की छायाप्रति, नकल खतौनी व तहसीलदार ऊन की जांच आख्या संलग्न कर सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न उपरोक्तानुसार

५

(निधि भारद्वाज)

उप जिलाधिकारी

ऊन, जनपद शामली।



राजस्व रिकार्ड के अनुसार नदी की लम्बाई, चौड़ाई के सम्बन्ध में राजस्व टीम द्वारा तैयार की गई सूची निम्न प्रकार है-

क्र० सं०	ग्राम का नाम	बन्दोबस्त के अनुसार खसरा सं०	रकबा (हे० मे)	नौईयत	वर्तमान खसरा संख्या	रकबा (हे० मे)	नौईयत	लम्बाई (मी० मे)	औसत चौड़ाई (मी० मे)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	चौसाना जदीद	840	1.598	नदी	840	1.598	नदी	505	18
	..	841	0.113	नदी	841	0.113	नदी	70	12
	..	848	0.205	नदी	848	0.205	नदी	80	27
	..	849	1.372	नदी	849	1.372	नदी	406	31
	..	1181	3.704	नदी	1181	3.704	नदी	1370	12
	..	1356	1.331	नदी	1356	1.331	नदी	850	22
	..	1659	1.075	नदी	1659	1.075	नदी	719	22
2	चौसाना बिला अह०	899	0.318	नदी	899	0.318	नदी	106	27
3	अलीपुरा	19	0.123	नदी	19ग	0.123	नदी	224	5
	..	23मि	0.126	काश्तकार	23मि	0.126	काश्तकार	550	25
	..	23मि	0.020	काश्तकार	23मि	0.020	काश्तकार		
	..	23मि	0.128	काश्तकार	23मि	0.128	काश्तकार		
	..	23मि	1.044	काश्तकार	23मि	1.044	काश्तकार		
	..	23मि	0.287	काश्तकार	23मि	0.287	काश्तकार		
	..	35	3.555	नदी	35क	3.555	नदी	1017	34
	..	107	4.664	नदी	107	4.664	नदी	1750	27
4	भडी	339	1.578	नदी	339ख	1.578	नदी	1500	17
	..	338	0.031	नदी	338	0.031	नदी	60	5
5	मुस्तुफा बाद	151	1.501	नाला	151	1.501	नाला	300	50
	..	168	1.771	नाला	168	1.771	नाला	410	43
6	सकोती	56	4.383	नाला	56	4.383	नाला	962	45
	..	164	4.194	नाला	164	4.194	नाला	994	42
	..	315	2.797	नाला	315	2.797	नाला	461	60
	..	384	0.031	नाला	384	0.031	नाला	67	4.5
	..	402	1.196	नाला	402	1.196	नाला	360	33
	..	444	0.179	नाला	444	0.179	नाला	172	10
	..	445क	0.328	नाला	445क	0.328	नाला	208	16
	..	446	0.277	नाला	446	0.277	नाला	167	16
	..	449ख	0.287	नाला	449ख	0.287	नाला	217	13
	..	450	0.195	नाला	450	0.195	नाला	203	9.5
	..	445ख	0.061	नाला	445ख	0.061	नाला	203	3
	..	448	0.072	नाला	448	0.072	नाला	50	14
	..	449क	0.133	नाला	449क	0.133	नाला	217	6
	..	451	0.061	नाला	451	0.061	नाला	40	15

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and date: 12/11/2025

Handwritten signature and date: 12/11/2025

Handwritten signature and date: 12/11/2025

Handwritten signature and initials.

7	कमालपुर	252	0.082	नाला	252	0.082	नाला	54	3
	"	253	0.455	नाला	253	0.455	नाला	136	15
	"	271	0.912	नाला	271	0.912	नाला	1450	6.5
	"	256	0.072	नदी	256	0.072	नदी	72	10
	"	257	1.506	नदी	257	1.506	नदी	270	55
	"	270	2.705	नदी	270	2.705	नदी	655	41
8	गूर्जरपुर	121	5.1168	नदी	121	5.1168	नदी	870	58
	"	145	0.205	नदी	145	0.205	नदी	135	15
9	अजीजपुर	293	2.336	नदी	293	2.336	नदी	1092	21
	"	314	0.061	नदी	314	0.061	नदी	28	21
	"	323	1.301	नदी	323	1.301	नदी	630	21
	"	419ग	0.533	नदी	419ग	0.533	नदी	250	21
	"	411	1.896	नदी	411	1.896	नदी	860	21
	"	419ध	0.102	नदी	419ध	0.102	नदी	50	21
10	काला माजरा	213	0.123	नाला	213	0.123	नाला	70	16
11	जलालपुर	202	0.420	नदी	202	0.420	नदी	250	16
	"	10	0.103	नदी	10	0.103	नदी	56	18
	"	1मि	0.041	नाला	1मि	0.041	नाला	50	16
	"	1मि0	0.113	नाला	1मि0	0.113	नाला		
	"	16मि	0.840	नाला	16मि	0.840	नाला	430	34
	"	16मि0	0.154	नाला	16मि0	0.154	नाला		
	"	16मि0	0.471	नाला	16मि0	0.471	नाला		
12	करतू	58म	1.727	नदी	58ख	1.727	नदी	420	41
	"	62म	0.947	नदी	62म	0.947	नदी	230	41
	"	359	1.649	नदी	359	1.649	नदी	310	53

### 3- नदी के जलग्रहण क्षेत्र से सम्बन्धित समुचित विवरण-

उपरोक्त नदी में वर्षा ऋतु के समय आस-पास के ग्रामों से अतिरिक्त वर्षा का जल प्रवाहित हो जाता है। इसके अतिरिक्त नदी में जल प्रवाह गत 4-5 वर्षों से नहीं हो रहा है। उपरोक्त ग्रामों के शजरे की छायाप्रति व नकल खतौनी साथ में संलग्न करते हुए आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

*[Handwritten signature]*  
12/4/25

उपरोक्त नदी  
जलग्रहण क्षेत्र  
(काला)

जिला आकार नंबर ५२

दिनांक २६

सुभाषचंद्र बोस स्मृति (१९४७-४८)

अलीपुरा

विशेषी

नैराश

गुरु नारायण



क्र.सं.	संकेत	प्लॉट नं.	क्षेत्रफल	मालिक	विशेषी का नाम	विशेषी का पता	विशेषी का पता
२२४	११३	६६३	११३	३२	जंगमचंद्रका	-	नदी
२२५	११३	६६३/१	२११	३५	जंगमचंद्रका	-	नदी
		६६३/३	१११		जंगमचंद्रका	-	३२
		६२/६	११६		जंगमचंद्रका	-	
		६६/१	२२		जंगमचंद्रका	-	
२२६	११३	६६३/१	२२	६६	जंगमचंद्रका	-	नदी
२२७	११३+१०	६६३/३	११२+१०	६५	जंगमचंद्रका	-	नदी
२२८	११२+५	६६३/३	११२+५	६५	जंगमचंद्रका	-	नदी
२२९	६११+५	११	११	६६	जंगमचंद्रका	नलकूप	३२
		१३+५	२३+५		जंगमचंद्रका	नलकूप	
		३-३	११२+१०		जंगमचंद्रका	नलकूप	
		३-३	११२+५		जंगमचंद्रका	नलकूप	
		६०	११२		जंगमचंद्रका	नलकूप	
		६५/१	३		जंगमचंद्रका	नलकूप	
		६५/५	२५		जंगमचंद्रका	नलकूप	
		६६/१	१११+१०		जंगमचंद्रका	नलकूप	
		६६/१२	२३+५		जंगमचंद्रका	नलकूप	
		६६/११	१११		जंगमचंद्रका	नलकूप	नदी
		६६/१२	६११+५		जंगमचंद्रका	नलकूप	नदी

१११+५

१११+५

क्र.सं. ६११+५

संकेत ६११+५

स्थिति नलकूप

असंचित १५

सा.ज.न. ६११+५

प्लॉट ५

सुभाषचंद्र बोस स्मृति  
लॉजबुकी  
१०-५-२५

अलीपुरा जिला

सुभाषचंद्र बोस स्मृति

लॉजबुकी

जो ० ५० दाना...

१९६६

जोत धरानदी बरिगिवाय जो गावा...

अलीपुरा परगाणा निवासी

पंचायत

जिन्हा ७० गा...

जोती-  
गावा की  
बन-बोवरा

खतियार का नाम, विदुयाम तथा...

जोती-  
गावा की  
बन-बोवरा  
जोती-  
गावा की  
बन-बोवरा  
जोती-  
गावा की  
बन-बोवरा

श्री १ क (क) :- भूमि जो, सकुमारी कृषि का ताल भूमि...

जोती- गावा की बन-बोवरा	खतियार का नाम, विदुयाम तथा...	जोती- गावा की बन-बोवरा	जोती- गावा की बन-बोवरा	जोती- गावा की बन-बोवरा	जोती- गावा की बन-बोवरा
१	सादासिंह उग्र निवासी	२१	५११२४	२२०२३	१२२
	सुन्दरगार गजरा चौसानी				
२	सि-गारासिंह उग्र बून्दासिंह	२२	१११४१३		१२३
	निवासी ग्राम	२३	२६१४५		
		२४	१११		
		२३	५१३		
		६	३९३१२	९३०-६५	
३	श्रीमती सलामन बालि महमूद	२३	५२११६	०-२६	१२५
	पुत्री जिन्हा निवासी ग्राम				

श्रीमती सलामन बालि महमूद  
पुत्री जिन्हा निवासी ग्राम

१०/०५/२५

१०/०५/२५

जो० च० आकार-पत्र ४५

(विभाग २२) १६८

जोत भूदातमी सभित्तियत जो भाग ५० के कार्यालय वेदाय ही गई कर्तव्यी

क० अलीशर नाम वि० गौली मन्तव्य कौशला ज० अ० ग०

क० अलीशर	नाम	वि० गौली	मन्तव्य	कौशला	ज० अ० ग०
क० अलीशर	क० अलीशर का भाग, वि० गौली का विभाग-२२	जोत भूदातमी	सही मात	कार्यालय	कार्यालय
क्र०	१ क (क) :- ऐसी भूमि जो राजकीय भूमि है	क्र०	१	५	१२४
१	१६ सिगाँवा सिंह पुत्र सुलखनसिंह निवासी		१९	५१७३	१२४
	ग्राम		२३	५१२	
			२५	५१२	
			२६	६१२५५	
			४	१६१७५+५	६२-१०
२	१६ स्वप्नसिंह पुत्र किशनसिंह निवासी		२६	२५२२२	५२-११ १२६
	सुन्दरनगर मजरा चौखाना				
३	१६ साधू पुत्र लखनो निवासी नई		१२	५	१२६
	मगला		२०	५१२-१८	
			२	६१२५९८	२३-१०

रजिस्ट्रार कार्यालय  
 10-04-25



भारत सरकार की अधिनियम

क्रमांक १३३  
 अधिनियम संख्या १३३  
 दिनांक १३/११/५६

क्रमांक	विवरण	प्रकार	क्षेत्रफल	संख्या	विवरण	क्रमांक
१	श्रेणी २ :- श्रेणी १ की जमीन सरकार अपना जंगल बना लेगी। अन्य श्रेणी के अधिकारी को, जिसका रकबा १२५० ई० के ऊपर प्रोवा जमीनी विभाग और ग्रामीण व्यवस्था अधिनियम की धारा २३८ के अधीन ग्रामीण प्रशासन आयोग द्वारा खेती करवा है - - - - - है।					७
	श्रेणी २ क (क) :- ग्रामीण जमीन अधिनियम के अधीन ग्रामीण अधिपति अथवा अधिकारी में है :-					
२	अखिल व नानु प्रजापति धरंगा निवासी चौसगा		१२६	१३+१६	०-२६	१

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी/SDM

मण्डल : राहुरनापुर, जनपद : शामली, राहुरील : ऊन

वाद संख्या :- 2701/2025

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202509720702701

सरकार बनाम राजेश आदि

अन्तर्गत धारा:- 152, अधिनियम :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

### भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152(1) के अन्तर्गत प्रारम्भिक आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही जिलेदार, ड्रेनेज खण्ड, मु0नगर की आख्या दिनांक 09-04-2025 के आधार पर प्रचलित हुई। जांच आख्या में इनके द्वारा कथन किया गया कि जनपद शामली में प्रवाहित खोखरी नदी का रेस्टोरेशन प्लान तैयार करने के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड, मु0नगर द्वारा पांच सदस्य टीम का गठन किया गया तथा गठित टीम द्वारा दिनांक 04-07-2024 को एवं दिनांक 10-07-2024 को खोखरी नदी का निरीक्षण कर नदी के संरक्षण में आने वाले मकान जो ग्राम सकौती एवं चौसाना के अन्तर्गत का चिन्हाकन करते हुए अतिक्रमण क्षेत्रफल सहित समस्त जानकारी एकत्र की गई, जिसकी सूची संलग्न है तथा खोखरी नदी को पुनर्जीवित करने हेतु नदी में उक्त स्थाई अतिक्रमण हटाया जाना आवश्यक है। अन्त में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन हेतु उक्त स्थाई अतिक्रमण को हटाने का अनुरोध किया गया।

इस प्रकार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन व जिलेदार, ड्रेनेज खण्ड, मु0नगर की आख्या दिनांक 09-04-2025 के आधार पर वाद की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। चूंकि उक्त क्षेत्र मेरे अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के अन्तर्गत आता है तथा उक्तानुसार उपरोक्त खोखरी नदी पर हुए अतिक्रमण के सम्बन्ध में धारा 152(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की कार्यवाही की जानी आवश्यक प्रतीत होती है।

अतः मैं निधि भारद्वाज, उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली, जिलेदार, ड्रेनेज खण्ड, मु0नगर के आख्या दिनांक 09-04-2025 से सहमत होते हुए विपक्षी-राजेश पुत्र टनक, महीपाल पुत्र जगबीरा, संजीव पुत्र महीपाल, प्रमोद पुत्र विन्दर, छसीदू पुत्र विशम्बर, विनोद पुत्र विशम्बर, अतरा पुत्र सोहनलाल समस्त निवासीगण ग्राम चौसाना, थाना झिंझाना, तहसील ऊन, जनपद शामली को निर्देश देती हूँ कि आपके द्वारा खोखरी नदी की भूमि पर अतिक्रमण करने से पब्लिक न्यूसेंस पैदा हो गया है, उसको तत्काल हटा दें अथवा दिनांक 19-04-2025 को प्रातः 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मौखिक/लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करें और कारण बतायें, क्यों न इस आदेश को अन्तिम कर दिया जाये।

यह आदेश आज दिनांक 11-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से निर्गत किया गया।

( निधि भारद्वाज )

उप जिला मजिस्ट्रेट,  
ऊन, जनपद शामली

प्रतिलिपि-प्रभारी निरीक्षक, थाना झिंझाना को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति विपक्षी को तामील कराकर नियत दिनांक से पूर्व न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

उप जिला मजिस्ट्रेट,  
ऊन, जनपद शामली



आदेश पत्रक  
 न्यायालय : उपजिलाधिकारी/SDM  
 मण्डल : सहरनपुर, जनपद : शामली, तहसील : ऊन  
 वाद संख्या :- 2700/2025  
 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202509720702700  
 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि  
 अंतर्गत धारा:- 152, अधिनियम :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

### भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152(1) के अन्तर्गत प्रारम्भिक आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही जिलेदार, झेनेज खण्ड, मु0नगर की आख्या दिनांक 09-04-2025 के आधार पर प्रचलित हुई। जांच आख्या में इनके द्वारा कथन किया गया कि जनपद शामली में प्रवाहित खोखरी नदी का रेस्टोरेशन प्लान तैयार करने के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, झेनेज खण्ड, मु0नगर द्वारा पांच सदस्य टीम का गठन किया गया तथा गठित टीम द्वारा दिनांक 04-07-2024 को एवं दिनांक 10-07-2024 को खोखरी नदी का निरीक्षण कर नदी के संरक्षण में आने वाले मकान जो ग्राम सकौती एवं चौसाना के अन्तर्गत का चिन्हांकन करते हुए अतिक्रमिता क्षेत्रफल सहित समस्त जानकारी एकत्र की गई, जिसकी सूची संलग्न है तथा खोखरी नदी को पुर्नजीवित करने हेतु नदी में उक्त स्थाई अतिक्रमण हटाया जाना आवश्यक है। अन्त में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन हेतु उक्त स्थाई अतिक्रमण को हटाने का अनुरोध किया गया।

इस प्रकार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन व जिलेदार, झेनेज खण्ड, मु0नगर की आख्या दिनांक 09-04-2025 के आधार पर वाद की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। चूंकि उक्त क्षेत्र मेरे अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के अन्तर्गत आता है तथा उक्तानुसार उपरोक्त खोखरी नदी पर हुए अतिक्रमण के सम्बन्ध में धारा 152(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की कार्यवाही की जानी आवश्यक प्रतीत होती है।

अतः मैं निधि भारद्वाज, उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली, जिलेदार, झेनेज खण्ड, मु0नगर के आख्या दिनांक 09-04-2025 से सहमत होते हुए विपक्षी-हरेन्द्र पुत्र जिले सिंह, मोहित पुत्र चन्द्रपाल सिंह, सचिन कुमार पुत्र शिवकुमार, रामकुमार पुत्र कालाराम, मांगेराम पुत्र जिले सिंह, निर्मल पुत्र सीताराम, वैदपाल पुत्र सरजीत, तेजपाल व रामशरण पुत्रगण केशोराम, सुक्रमपाल पुत्र बलजीत, रामपाल पुत्र हरी सिंह, अमित पुत्र ईसम सिंह, लाम सिंह पुत्र बलजीत, राजेन्द्र पुत्र पुन्ना सिंह, रामफल पुत्र धर्मवीर सिंह, मांगेराम पुत्र सुबा, रामशरण पुत्र सहेन्दर सिंह, भगवान सिंह पुत्र सहेन्दर सिंह, फूल कुमार पुत्र सहेन्दर सिंह, शिवकुमार पुत्र सहेन्दर सिंह, रामकुमार पुत्र सहेन्दर सिंह, चन्द्रपाल पुत्र महेन्द्र सिंह, रवि पुत्र राजपाल, नौशाद पुत्र बाबू, राजवीर पुत्र खिलारी, देशपाल पुत्र राजपाल, अरुण पुत्र पीतम सिंह, विकास पुत्र हरी सिंह समस्त निवासीगण ग्राम सकौती, थाना झिंझाना, तहसील ऊन, जनपद शामली को निर्देश देती हूँ कि आपके द्वारा खोखरी नदी की भूमि पर अतिक्रमण करने से पब्लिक न्यूसेंस पैदा हो गया है, उसको तत्काल हटा दें अथवा दिनांक 19-04-2025 को प्रातः 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मौखिक/लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करें और कारण बतायें, वर्यो न इस आदेश को अन्तिम कर दिया जाये।

यह आदेश आज दिनांक 11-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से निर्गत किया गया।

( निधि भारद्वाज )

उप जिला मजिस्ट्रेट,  
ऊन, जनपद शामली

प्रतिलिपि-प्रभारी निरीक्षक, थाना झिंझाना को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति विपक्षी को तामील कराकर नियत दिनांक से पूर्व न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।



उप जिला मजिस्ट्रेट,  
ऊन, जनपद शामली







श्रीव नगर अधिकार पत्र - १५५  
(विभाग ६०)

१९६८

श्रीव नगर अधिनियम (१९५५) के अंतर्गत नगरपालिका का नया  
सुधारक विभाग के अंतर्गत नगरपालिका के अंतर्गत नगरपालिका

नगरपालिका (१९५५)

खण्ड का नाम, पिन नाम तथा विभाग का नाम	संख्या	नं. माप	मिति	संख्या	विभाग
श्रेणी १५(१) जलसंग्रह भूमि	राज्यीय	मा	मिति	संख्या	विभाग
१ नदी	३	४		५	६
		१२९	२४/११/५८	०	
		१४५	११		
		२	२४/११/५८		
योग ४५ (१)		२	२४/११/५८		
१४ (२) स्थल सड़कें रेलवे मलन एला इसरी श्रीमों जी संकृषक उपयोग के लिए काम में लाइजाव है।					
२ सड़क खन्ती		८	५२		
३ सड़क कच्ची		८	५३		
योग १४ (२)		२	११/११		
योग १५		४	२६/११/५८		
योग श्रेणी २० से १५ :-		४	२६/११/५८		

सत्यापित ली  
सरकारी कार्य हेतु

ले. १०/११/५८

१९६८

१९६८

**कार्यालय उप जिलाधिकारी ऊन, जनपद शामली**

पत्रांक: 1486 / एस0टी0 / 2025

दिनांक: 30.10.2025

**Annexure R-3 (Colly)**

जिलाधिकारी  
शामली।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि तहसीलदार ऊन द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 27.10.2025 में यह अवगत कराया गया है कि उपजिलाधिकारी न्यायालय में निर्णित वाद सं०-टी202509720702700 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि ग्राम सकौती, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी०एन०एस०एस० में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 तथा वाद सं०-टी202509720702701 सरकार बनाम राजेश आदि ग्राम चौसाना, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी०एन०एस०एस० में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम चौसाना पर अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसेंस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

उक्त के कम में तहसीलदार ऊन द्वारा दिनांक 21.10.2025 को अपने कार्यालय से पत्र प्रेषित करते हुए ग्राम सकौती तहसील ऊन जनपद शामली के कुल 27 अवैध कब्जाधारियों (छायाप्रति संलग्न) तथा ग्राम चौसाना तहसील ऊन जनपद शामली के कुल 06 अवैध कब्जाधारियों (छायाप्रति संलग्न) के विरुद्ध नोटिस जारी करते हुए यह सूचित किया गया कि "खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31-10-2025 से पूर्व हटा लें। यदि नियत दिनांक से पूर्व अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की वसूली अवैध कब्जाधारियों से की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी"।

उक्त नोटिस के जारी किये जाने के उपरान्त दिनांक 27.10.2025 को तहसीलदार ऊन द्वारा राजस्व टीम व ड्रेनेज विभाग के अधिकारी/कर्मचारी के साथ मौके पर पहुंचकर उक्त अवैध कब्जाधारियों को पुनः अन्तिम रूप से सचेत करते हुए यह सूचित किया गया है कि वह दिनांक 31.10.2025 से पूर्व खोखरी नदी की भूमि से अपना अतिक्रमण स्वतः ही हटा लें। अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

तदनुसार तहसीलदार ऊन की जांच आख्या दिनांक 27.10.2025 को मूलरूप से संलग्न कर महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि।

  
उप जिलाधिकारी  
ऊन।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
1- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मु0नगर/शामली।

  
उप जिलाधिकारी  
ऊन।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि आप महोदय के न्यायालय में निर्णित वाद सं०- टी202509720702700 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि ग्राम सकौती, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी०एन०एस०एस० में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 तथा वाद सं०- टी202509720702701 सरकार बनाम राजेश आदि ग्राम चौसाना, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी०एन०एस०एस० में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम चौसाना पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसेंस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी (तहसीलदार ऊन) द्वारा दिनांक 21.10.2025 को अपने कार्यालय से पत्र प्रेषित करते हुए ग्राम सकौती तहसील ऊन जनपद शामली के कुल 27 अवैध कब्जाधारियों (छायाप्रति संलग्न) तथा ग्राम चौसाना तहसील ऊन जनपद शामली के कुल 06 अवैध कब्जाधारियों (छायाप्रति संलग्न) के विरुद्ध नोटिस जारी करते हुए यह सूचित किया गया कि "खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31-10-2025 से पूर्व हटा लें। यदि नियत दिनांक से पूर्व अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की वसूली अवैध कब्जाधारियों से की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी"।



*[Signature]*  
RI (um)  
27/10/2025


*[Signature]*  
RI (um)  
27/10/25

*[Signature]*  
Teh (U)  
27/10/2025

.उक्त नोटिस के जारी किये जाने के उपरान्त दिनांक 27.10.2025 को अधोहस्ताक्षरी (तहसीलदार ऊर्न) द्वारा राजस्व टीम व ड्रेनेज विभाग के अधिकारी/कर्मचारी के साथ मौके पर पहुंचकर उक्त अवैध कब्जाधारियों को पुनः अन्तिम रूप से सचेत करते हुए यह सूचित किया गया है कि वह दिनांक 31.10.2025 से पूर्व खोखरी नदी की भूमि से अपना अतिक्रमण स्वतः ही हटा लें। अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।




तदनुसार दिनांक 21.10.2025 को जारी कुल 33 नोटिस (ग्राम सकौती-27 व ग्राम चौसाना-06) की छायाप्रति मय फोटोग्राफस एवं दिनांक 27.10.2025 को मौके पर उपस्थित होकर लिये गये स्थलीय फोटोग्राफस संलग्न कर आख्या महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि।

  
27/10/2025  
RI(Vn)

  
RI(Vn)  
27/10/25

  
Teh(U)  
27/10/2025



*[Signature]*  
27/10/2025  
RI(LM)

*[Signature]*  
RI(LM)  
27/10/25

*[Signature]*  
TEL(U)

कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद-शामली।

संख्या /रा0नि0


दिनांक 21-10-2025

नोटिस

श्री राजवीर पुता खेलासी  
निवासी-सकौती  
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं0 टी202509720702700 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि ग्राम सकौती, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 वी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम सकौती पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसैस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31-10-2025 से पूर्व हटा ले, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

  
राजस्व निरीक्षक  
क्षेत्र-झिंझाना  
तहसील ऊन

अक्षय S/राजवीर

8476021664

## कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद-शामली।

संख्या / रा0नि0


दिनांक 21-10-2025

नोटिस

श्री राजशरण पुत्र सहेन्द्रसिंह  
निवासी-सकौती  
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं0 टी202509720702700 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि ग्राम सकौती, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम सकौती पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसेंस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31-10-2025 से पूर्व हटा लें, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

  
राजस्व निरीक्षक  
क्षेत्र-शेड्डाना  
तहसील ऊन

सागर 7465887730

## कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद-शामली।

संख्या / रा0नि0

दिनांक 31-10-2025

नोटिस

श्री - भगवानसिंह पुत्र सहेलसिंह  
निवासी-सकौती  
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं0 टी202509720702700 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि ग्राम सकौती, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 वी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम सकौती पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसैस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31-10-2025 से पूर्व हटा लें, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

दीपा

9548692616

  
राजस्व निरीक्षक,  
क्षेत्र-झिंझाना  
तहसील ऊन

# कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद-शामली।

संख्या / रा0नि0

दिनांक 21-10-2025

## नोटिस

श्री - फूल कुमार पुत्र सहे-दासिंह  
निवासी-सकौती  
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं0 टी202509720702700 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि ग्राम सकौती, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम सकौती पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसेंस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31-10-2025 से पूर्व हटा लें, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

सागर

राजस्व निरीक्षक,  
क्षेत्र-झिंझाना  
तहसील ऊन

# कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद-शामली।

संख्या /रा0नि0

दिनांक 21-10-2025

## नोटिस

श्री राशकुमार पुत्र सहेन्द्रसिंह  
निवासी-सकौती  
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं0 टी202509720702700 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि ग्राम सकौती, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम सकौती पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसैस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31-10-2025 से पूर्व हटा लें, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

21/10/25

राजस्व निरीक्षक,  
क्षेत्र-झिंझाना  
तहसील ऊन

# कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद-शामली।

संख्या / रा0नि0

दिनांक 21-10-2025

## नोटिस

श्री - श्रीव कुमार पुत्र सहेन्द्र सिंह  
निवासी-सकौती  
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं0 टी202509720702700 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि ग्राम सकौती, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम सकौती पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसैस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31-10-2025 से पूर्व हटा लें, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

राजस्व

राजस्व निरीक्षक,  
क्षेत्र-झिंझाना  
तहसील ऊन

# कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद-शामली।

संख्या / रा0नि0


दिनांक 21-10-2025


## नोटिस

श्री देशपाल पुत्र राजपाल  
निवासी-सकौती  
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं0 टी202509720702700 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि ग्राम सकौती, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम सकौती पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसैस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31-10-2025 से पूर्व हटा लें, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

  
राजस्व निरीक्षक  
क्षेत्र-झिंझाना  
तहसील ऊन

  
राजस्व निरीक्षक

1500948738

# कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद-शामली।

संख्या / रा0नि0

दिनांक 21-10-2025

## नोटिस

श्री शिव दत्त राजपाल  
निवासी-सकौती  
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं0 टी202509720702700 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि ग्राम सकौती, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम सकौती पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसैस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31-10-2025 से पूर्व हटा लें, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

शिव दत्त

7500748738

राजस्व निरीक्षक,  
क्षेत्र-झिंझाना  
तहसील ऊन

# कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद-शामली।

संख्या /रा0नि0


दिनांक 21-10-2025

## नोटिस

श्री झांगेराम पुत सूबा  
निवासी-सकौती  
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं0 टी202509720702700 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि ग्राम सकौती, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम सकौती पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसैंस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31-10-2025 से पूर्व हटा लें, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

  
राजस्व निरीक्षक,  
क्षेत्र-झिंझाना  
तहसील ऊन

नीटू

9759249527

## कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद-शामली।

संख्या / रा0नि0

दिनांक २१-१०-२०२५

नोटिस

श्री चन्द्रपाल पुत सहैसैई  
निवासी-सकौती  
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं० टी202509720702700 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि ग्राम सकौती, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी०एन०एस०एस० में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम सकौती पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसैस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक ३१-१०-२०२५ से पूर्व हटा लें, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

Ramchand

राजस्व निरीक्षक,  
क्षेत्र-झिंझाना  
तहसील ऊन

# कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद-शामली।

संख्या / रा0नि0

दिनांक 21-10-2025

## नोटिस

श्री लामसिंह पुता बलजीत  
निवासी-सकौती  
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं0 टी202509720702700 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि ग्राम सकौती, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम सकौती पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसैस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31-10-2025 से पूर्व हटा लें, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

लामसिंह

9012256932

राजस्व निरीक्षक,  
क्षेत्र-झिंझाना  
तहसील ऊन

# कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद-शामली।

संख्या / रा0नि0

दिनांक 21-10-2025

## नोटिस

श्री नौत्राट पुत्राजीबू  
निवासी-सकौती  
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं0 टी202509720702700 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि ग्राम सकौती, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम सकौती पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसैस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31-10-2025 से पूर्व हटा लें, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

राजस्व निरीक्षक,  
क्षेत्र-झिंझाना  
तहसील ऊन

जहां से निवासी सकौती

न्यायालय के डिप्टी जज/

हस्ताक्षर

# कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद-शामली।

संख्या / रा0नि0

दिनांक 21-10-2025

## नोटिस

श्री - रामपाल पुत्र हरीसिंह  
निवासी-सकौती  
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं0 टी202509720702700 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि ग्राम सकौती, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम सकौती पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसेंस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31-10-2025 से पूर्व हटा लें, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

  
राजस्व निरीक्षक,  
क्षेत्र-झिंझाना  
तहसील ऊन

ज्ञानि

# कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद-शामली।

संख्या / रा0नि0

दिनांक 21-10-2025


## नोटिस

श्री विवास घुना दृशीसैद  
निवासी-सकौती  
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं0 टी202509720702700 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि ग्राम सकौती, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम सकौती पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसेंस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31-10-2025 से पूर्व हटा लें, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

विनाश

  
राजस्व निरीक्षक,  
क्षेत्र-झिंझाना  
तहसील ऊन

# कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद-शामली।

संख्या / रा0नि0

दिनांक 21-10-2025

## नोटिस

श्री अरुण पुता पीतमसैइ  
निवासी-सकौती  
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं0 टी202509720702700 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि ग्राम सकौती, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम सकौती पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसेंस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31-10-2025 से पूर्व हटा लें, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

अरुण

राजस्व निरीक्षक,  
क्षेत्र-झिंझाना  
तहसील ऊन

# कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद-शामली।

संख्या / रा0नि0

दिनांक 21-10-2025

## नोटिस

श्री निर्मल पुन सीताराध  
निवासी-सकौती  
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं0 टी202509720702700 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि ग्राम सकौती, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम सकौती पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसैस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31-10-2025 से पूर्व हटा लें, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

  
राजस्व निरीक्षक,  
क्षेत्र-झिंझाना  
तहसील ऊन

सन्दीप

# कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद-शामली।

संख्या

/रा0नि0

दिनांक 21-10-2025

## नोटिस

श्री रामकुमार पुन कालाराम  
निवासी-सकौती  
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं0 टी202509720702700 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि ग्राम सकौती, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम सकौती पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसेंस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31-10-2025 से पूर्व हटा लें, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

रामकुमार

राजस्व निरीक्षक,  
क्षेत्र-झिंझाना  
तहसील ऊन

# कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद-शामली।

संख्या

/रा0नि0

दिनांक 21-10-2025


## नोटिस

श्री साचिन कुमार पुता श्री गुरुनारायण  
निवासी-सकौती  
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं0 टी202509720702700 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि ग्राम सकौती, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम सकौती पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसेंस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31-10-2025 से पूर्व हटा लें, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

Sachin

  
राजस्व निरीक्षक,  
क्षेत्र-झिंझाना  
तहसील ऊन

# कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद-शामली।

संख्या / रा0नि0


दिनांक 21-10-2025

## नोटिस

श्री मोहित पुष्प-दुपालकेन्द्र  
निवासी-सकौती  
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं0 टी202509720702700 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि ग्राम सकौती, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम सकौती पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसेस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31-10-2025 से पूर्व हटा लें, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

  
राजस्व निरीक्षक  
क्षेत्र-डिंझाना  
तहसील ऊन

Mohit

# कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद-शामली।

संख्या / रा0नि0

दिनांक 21-10-2025

## नोटिस

श्री रामपाल पुत्र हरीसिंह  
निवासी-सकौती  
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं0 टी202509720702700 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि ग्राम सकौती, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम सकौती पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसेंस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31-10-2025 से पूर्व हटा लें, यदि उक्त दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में आवश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

राजस्व निरीक्षक,  
क्षेत्र-झिझाणा  
तहसील ऊन

31/10

# कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद-शामली।

संख्या / रा0नि0


दिनांक 21-10-2025


## नोटिस

श्री सुकृष्णपाल पुत्र बलजीत  
निवासी-सकौती  
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं0 टी202509720702700 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि ग्राम सकौती, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम सकौती पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसैस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31-10-2025 से पूर्व हटा लें, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटायें जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

  
राजस्व निरीक्षक,  
क्षेत्र-झिंझाना  
तहसील ऊन

  
Raj Kumar

# कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद-शामली।

संख्या / रा0नि0

दिनांक 21-10-2025

## नोटिस

श्री - जसवंत पुत्र इन्द्रसिंह  
निवासी-सकौती  
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं0 टी202509720702700 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि ग्राम सकौती, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम सकौती पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसेंस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31-10-2025 से पूर्व हटा लें, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

10/10/25 सुदेश

राजस्व निरीक्षक,  
क्षेत्र-अंझाना  
तहसील ऊन

कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद-शामली।

/रा0नि0


दिनांक 21-10-2025

नोटिस

श्री गोकुल पुत्र शमलीगिरि  
निवासी-सकौती  
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं0 टी202509720702700 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि ग्राम सकौती, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम सकौती पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसेंस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 21-10-2025 से पूर्व हटा लें। यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कमी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

   
 राजस्व निरीक्षक

  
राजस्व निरीक्षक,  
क्षेत्र-झिंझाना  
तहसील ऊन

कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद-शामली।

/रा0नि0

दिनांक 21-10-2025

नोटिस

श्री राजेन्द्र पुत्र पुनोसिंह  
निवासी-सकौती  
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं0 टी202509720702700 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि ग्राम सकौती, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27-08-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम सकौती पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसेंस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 21-10-2025 से पूर्व हटा लें, यदि निश्चित दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

राजेन्द्र

राजस्व निरीक्षक,  
क्षेत्र-द्विजाना,  
तहसील ऊन

कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद-शामली।

संख्या

/रा0नि0

दिनांक 21-10-2025

नोटिस

श्री तेजपाल नंराजराज पुत्राज नंराज  
निवासी-सकौती  
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं0 टी202509720702700 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि ग्राम सकौती, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम सकौती पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसेंस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31-10-2025 से पूर्व हटा लें, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

  
राजस्व निरीक्षक,  
क्षेत्र-झिंझाना  
तहसील ऊन



~~9671591711~~  
9671591711

कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद-शामली।

/रा0नि0


दिनांक 21-10-2025


नोटिस

श्री - मांगेराम पुत्र जे लक्ष्मिंद्र  
निवासी-सकौती  
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं0 टी202509720702700 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि ग्राम सकौती, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम सकौती पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसैस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 21-10-2025 से पूर्व हटा लें, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

  
राजस्व निरीक्षक,  
क्षेत्र-झिंझाना  
तहसील ऊन



2006015701

कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद-शामली।

/रा0नि0

दिनांक 31-10-2025


संख्या

नोटिस

श्री हरेन्द्र कुंज जिला मजिस्ट्रेट  
निवासी-सकौती  
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं0 टी202509720702700 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि ग्राम सकौती, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम सकौती पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसेंस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31-10-2025 से पूर्व हटा लें, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

  
राजस्व निरीक्षक,  
क्षेत्र-झिंझाना  
तहसील ऊन

फि-2

## कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद-शामली।

संख्या / रा0नि0


दिनांक 21-10-2025

नोटिस

श्री अतरा पुत्र सोहनलाल  
निवासी-चौसाना  
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं0 टी 202509720702701 सरकार बनाम राजेश आदि ग्राम चौसाना, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम चौसाना पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसैंस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31-10-2025 से पूर्व हटा लें, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

  
राजस्व निरीक्षक,  
क्षेत्र-ऊन  
तहसील ऊन

अतर

## कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद-शामली।

/रा0नि0

दिनांक 21-10-2025

नोटिस

श्री महीपाल पुत्र जागन्नीरा व संजीव पुत्र महीपाल  
निवासी-चौसाना  
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं० टी 202509720702701 सरकार बनाम राजेश आदि ग्राम चौसाना, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी०एन०एस०एस० में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम चौसाना पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसेंस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31-10-2025 से पूर्व हटा लें, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

चस्ता कर दिनांक 31/10/25

राजस्व निरीक्षक,  
क्षेत्र-ऊन  
तहसील ऊन

# कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद-शामली।

संख्या / रा0नि0


दिनांक 21-10-2025

## नोटिस

श्री विनोद पुत्र विशाखर  
निवासी-चौसाना  
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं0 टी 202509720702701 सरकार बनाम राजेश आदि ग्राम चौसाना, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम चौसाना पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसंस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31-10-2025 से पूर्व हटा लें, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

  
राजस्व निरीक्षक,  
क्षेत्र-ऊन  
तहसील ऊन

विपिन 9756646482

कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद-शामली।

संख्या / रा0नि0


दिनांक 21-10-2025

नोटिस

श्री दासीरू पुत त्रिशम्बर  
निवासी-चौसाना  
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं0 टी 202509720702701 सरकार बनाम राजेश आदि ग्राम चौसाना, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम चौसाना पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसेंस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31-10-2025 से पूर्व हटा लें, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

  
राजस्व निरीक्षक,  
क्षेत्र-ऊन  
तहसील ऊन

सुरेश

9568086478

कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद-शामली।

संख्या / रा0नि0


दिनांक 21-10-2025

नोटिस

श्री सुनोद पुन बिन्दर  
निवासी-चौसाना  
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं0 टी 202509720702701 सरकार बनाम राजेश आदि ग्राम चौसाना, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27-08-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम चौसाना पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसेंस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31-10-2025 से पूर्व हटा लें, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

  
राजस्य निरीक्षक,  
क्षेत्र-ऊन  
तहसील ऊन

अंजली

9568327423

कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद-शामली।

/रा0नि0

दिनांक 21-10-2025

नोटिस

श्री राजेश पुत टनरु  
निवासी-चौसाना  
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं० टी 202509720702701 सरकार बनाम राजेश आदि ग्राम चौसाना, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी०एन०एस०एस० में पारित आदेश दिनांक 27-06-2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम चौसाना पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसेंस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31-10-2025 से पूर्व हटा लें, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

Ravit Kumar

8057795264

राजस्व निरीक्षक  
क्षेत्र-ऊन  
तहसील ऊन

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
ड्रेनेज खण्ड, शामली (मुजफ्फरनगर)

Annexure-R-4

पत्रांक :-1075

/डीडीएम/खोखरी/

दिनांक :-09.09.2025

विषय :- मा० एन०जी०टी० में योजित ओ०ए० संख्या 201/2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेशों के अनुपालन की बैठक के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- कार्यालय 3040 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर का पत्रांक-587/ओ०ए०-201/अमित कुमार/शामली/दि० 05.09.2025 Time Bound Plan

जिलाधिकारी, शामली।

कृपया उपरोक्त विषयक सम्बन्धित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-201/2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दि० 01.08.2025 :-

2 We find that the above affidavit in clear terms does not disclose the exact timeline for completing the work of demarcation of flood plain of river in District Shamli. The affidavit discloses that there are 16 drains from various Gram Panchayats of District Shamli which are discharging domestic waste water in Khakhari river. Adequate action is required to be taken for tapping the drains and for ensuring the treatment of waste water for the purpose of preventing the discharge of untreated sewage/waste water in river Khakhari.

4. In the above circumstances, we direct the District Magistrate Saharanpur and also District Magistrate Shamli to file a fresh affidavit within six weeks clearly indicating all the minor and major drains which are out falling in the river Khakhari. In their respective Districts, the timebound plan to prevent the flowing of sewage and domestic waste in the river, the timebound action for the demarcation of flood plains of the river in their District, the action which has been taken for removal of the encroachment and timebound proposed action for removing the remaining encroachments from the floodplain, the action plan to ensure continuous flow of the river in their District and the efforts which have made by them for restoration of the of the river strictly in compliance of the Ganga order of 2016. Let the fresh affidavit with above particulars be filed.

Filed on 05-11-2025

अवगत कराना है कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा खोखरी/सिधली नदी के फ्लड प्लेन जल निर्धारण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। उक्त के सम्बन्ध में अवगतनीय है कि खोखरी/सिधली नदी जनपद सहारनपुर एवं जनपद शामली में प्रवाहित होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। विभागीय स्तर पर अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, सहारनपुर को नोडल खण्ड नामित किया गया है। ड्रेनेज खण्ड, शामली जनपद शामली के अन्तर्गत खोखरी नदी से सम्बन्धित समस्त डाटा पूर्व में ही नोडल खण्ड-सिंचाई निर्माण खण्ड, सहारनपुर को प्रेषित करा दिया गया है। जिसके परिपेक्ष्य में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, सहारनपुर ने अपने पत्रांक-1999/सिनिखस/एन०जी०टी०/दिनांक-01.09.2025 द्वारा निम्नवत् आस्था उपलब्ध कराई गई है:-

- (1) राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुडकी (उत्तराखण्ड) के पत्र सं० 1541/दि० 28.08.2025 द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में फ्लड प्लेन जोनिंग की मैपिंग एवं माडलिंग का कार्य प्रगति में है। अनुमान है कि यह कार्य 30.11.2025 (तीन माह) में पूर्ण करा लिया जायेगा।
- (2) फ्लड प्लेन जोन की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त गजट नोटिफिकेशन दि० 31.12.2025 तक होना प्रस्तावित है।
- (3) खोखरी नदी के फ्लड प्लेन जोन निर्धारण उपरान्त पिलर लगाने का कार्य दिनांक 28.02.2026 तक प्रस्तावित है।

यह आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता

ड्रेनेज खण्ड, शामली (मुजफ्फरनगर)

पत्रांक :- /डीडीएम/दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अधीक्षक अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद, सिंचाई एवं जलसंसाधन विभाग, 3040, विक्टोरिया पार्क कालोनी, मेरठ।
2. उपजिलाधिकारी, ऊन-शामली।
3. कार्यालय क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शामली/मुजफ्फरनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, सहारनपुर।
5. सहायक अभियन्ता, प्रथम-ड्रेनेज खण्ड, शामली(मुजफ्फरनगर)

अधिशासी अभियन्ता

ड्रेनेज खण्ड, शामली (मुजफ्फरनगर)

## कार्यालय जिलाधिकारी शामली।

पत्रांक 1003 /18-1(जि०गं०स०)शामली, दिनांक-30-10-2025।

सेवा में,

परियोजना निदेशक,  
राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ०प्र०  
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र०  
लखनऊ।

Annexure-R-5  
(Copy)

विषय:- मा० एन०जी०टी० में योजित वाद सं० ओ०ए० 201/2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में खोखरी नदी जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका कार्यालय पत्रांक-355/965/एस.एम.सी.जी. दिनांक-26.08.2025।  
महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि सन्दर्भित मत्र द्वारा खोखरी नदी व जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कार्ययोजना संशोधित कर पुन प्रेषित करने हेतु निर्देश प्राप्त हुये है। जिसके कुछ अंश निम्नवत् है-

*while the desilting component cannot be funded by NMCG, the Other proposed activities align with NMCG's objectives and may be considered for support.*

जिसके सम्बन्ध में खोखरी नदी जीर्णोद्धार की कार्ययोजना का पुन संशोधन कर नदी के जीर्णोद्धार हेतु वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान व नदी पर वृक्षारोपण की कार्ययोजना तैयार की गयी है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	नदी का नाम	कार्य का नाम	कार्य की लागत
1	खोखरी नदी	वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कार्य	15,87,400 रु०
2	(एन०जी०टी० में योजित ओ०ए०	नदी पर वृक्षारोपण कार्य	1,12,49,873 रु०
3	सं०-201/2024)	कुल	1,28,37,275 रु०

अतः कार्ययोजना पुन जिला गंगा समिति के माध्यम से आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही एवं धनराशि उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित है। यह भी अनुरोध है कि खोखरी नदी के जीर्णोद्धार के लिए खुदाई कार्य हेतु लागत रु० 564.455 लाख की धनराशि उपलब्ध कराने हेतु आप अपने स्तर से प्रमुख सचिव महोदय, शिवाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को लिखने का कष्ट करें, ताकि खोखरी नदी के जीर्णोद्धार का मूल उद्देश्य को पूर्ण किया जा सके एवं मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली के आदेशों का समय से पालन हो सके।  
संलग्नक-प्रस्तावों के प्राक्कलन

भवदीय,  
30/10/25

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव  
जिला गंगा समिति, शामली

भवदीय

मुख्य विकास अधिकारी/नोडल सदस्य  
जिला गंगा समिति, शामली

भवदीय,  
30/10/25

जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
जिला गंगा समिति, शामली

# कार्यालय जिलाधिकारी शामली।

पत्रांक 1004/18-1(जि0गं0स0)शामली, दिनांक-30/10/2025।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,  
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- मा0 एन0जी0टी0 में योजित वाद सं0 ओ0ए0 201/2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में खोखरी नदी जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, लखनऊ आपका कार्यालय पत्रांक-355/965/एस.एम.सी.जी. दिनांक-26.08.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित वाद सं0 ओ0ए0 201/2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में इस कार्यालय क पत्रांक-2075/18-1(जि0गं0स0), दिनांक-11.04.2025 द्वारा खोखरी नदी के जीर्णोद्धार हेतु खुदाई कार्य हेतु लागत रू0 564.455 लाख, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिये लागत रू0 15.874 लाख एवं वृक्षारोपण कार्य की लागत रू0 112.498 लाख इस प्रकार कुल रू0 692.827 लाख के प्राक्कलन तैयार कर भेजे गये थे।(संलग्नक-1) जिस पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के निर्देशानुसार, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि खोखरी नदी के जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में एन0एम0सी0जी0 द्वारा नदी की गाद निकालने के कार्य पर धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में आपत्ति लगायी गयी है।(संलग्नक-2) जिसके कुछ अंश निम्नवत् है-

*while the desilting component cannot be funded by NMCG, the Other proposed activities align with NMCG's objectives and may be considered for support.*


उक्त सं' खोखरी नदी के जीर्णोद्धार का मूल उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है, ऐसी स्थिति में आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से अलग से खोखरी नदी के जीर्णोद्धार के लिए खुदाई कार्य हेतु लागत रू0 564.455 लाख की धनराशि उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि खोखरी नदी के जीर्णोद्धार का मूल उद्देश्य को पूर्ण किया जा सके एवं मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली के आदेशों का समय से पालन हो सके।  
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,




प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव  
जिला गंगा समिति, शामली

भवदीय



मुख्य विकास अधिकारी/नोडल सदस्य  
जिला गंगा समिति, शामली

भवदीय,



जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
जिला गंगा समिति, शामली